संख्या-55/2015/आरएफ.548/नौ-9-15-83आर.एफ/14

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,दिलदार नगर,
जनपद-गाजीपुर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15/मेमो/नo पंo दि0/14-15, दिनांक 20-05-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीक़त की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नया सवेरा नगर विकास योजना में प्राविधानित धनराशि से नगर पंचायत,दिलदार नगर,जनपद-गाजीपुर द्वारा निम्नलिखित 02 कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 5,95,87,000/-(रूपये पॉच करोड पन्चान्नबे लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ति प्रदान करते हुये **उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2,97,93,500/-(रूपये दो करोड सत्तान्न्बे लाख तिरान्नबे हजार पॉच सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू0 में)

निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्रॉक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ति	प्रथम किश्त के रूप में स्वीक़त धनराशि
नगर पंचायत, दिलदार नगर, जनपद- गाजीपुर।	1;तहसील जमानिया के अन्तर्गत ऐतिहासिक माईजी की कुटियॉ-।। तालाब का पुनरोद्धार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	227.96		

http://shasanadesh.up.nic.in/

	2. तहसील जमानियाँ के अन्तर्गत दिलदार नगर राजवाहा के दायें पटरी पर रेलवे स्टेशन से बाईपास रोड तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग ब्लॉक रोड निर्माण कार्य।	367.91		
	योग	595.87	595.87	297.935

(1)- यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो हेतु निविदांओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि का कार्य निकाय के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/ संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(5)- प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6)- धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश दिनांक 19:11:2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाया

http://upsandesh.up.nic.in/

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(8)- स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(10)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्प्ले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात "मया सवेरा नगर विकास योजना" का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(11)- उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। जिन निकायों को स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है उनके द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(12)- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(13)- वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(14)- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं

http://lsgrajasthan.up.nic.in/

शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के लेखाशीर्षक-" 6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/ दस-2014 - 231/2014,दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-55/2015/आरएफ.548(1)/नौ-9-2015 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. कोषाधिकारी,गाजीपुर ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष,सम्बन्धित नगर पंचायत।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल ।
10. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

http://upsadarbesh.gov.in/

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-19/06/2015

प्रेषण संख्या:- 55-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-55-2015-RF548-9-9-15-83RF-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके
04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	गाज़ीपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	29793500 29793500	29793500 29793500
	योग	वर्तमान प्रगामी	29793500 29793500	29793500 29793500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्तानवे लाख तिरानवे हजार पाँच सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्तानवे लाख तिरानवे हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव